

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

2

3



अभिलेख उपस्थापित।

23

(1.) प्रसादी भुईया, (2.) दिलचन्द राम पिता स्व० कोल्हा भुईया, (3.) शान्ति देवी पति मोती राम, (4.) मंगरी देवी पति कृष्णा राम, निवास स्थान ग्राम-डुमर, थाना-मुफ्फसिल, पोस्ट-जगन्नाथ धाम, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-बानाहप्पा, थाना संख्या-212, खाता संख्या-106, प्लॉट संख्या-123, रकवा 0.40 एकड़ (40 डिसमिल) (चार्लिस डिसमिल) भूमि आनन्द कुमार पिता नागेश्वर राम, निवास स्थान ग्राम-कोर्रा देवांगना चौक, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात की छायाप्रति संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-296/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 1464/रा० दिनांक 31.03.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1769 दिनांक 05.09.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक रलीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत हैं एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। प्रश्नगत भूमि रैयती खाता की है। खतियानी रैयत गन्दौरी भुइयां हैं। केवाला के अनुसार खरीदगी भूमि कुल रकवा 0.80 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 0.80 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-181/1 पर रघवा देवी के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है। जमाबंदी रैयत आवेदक नं०-1, 2 की माँ एवं आवेदक नं०-03, 04 की सास हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदकगण घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकवा 0.40 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्यवाही टिप्पणी
1	<p style="text-align: center;">2</p> <p>अन्तर्गत नहीं है। साथ ही B.L.R Act Section 4h से मुक्त है। प्रस्तावित भूमि आवेदिका के दखल कब्जा में है।</p> <p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को नारंगी रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1.) प्रसादी भुईया, (2.) दिलचन्द राम पिता स्व० कोल्हा भुईया, (3.) शांति देवी पति मोती राम, (4.) मंगरी देवी पति कृष्णा राम, निवास स्थान ग्राम-डुमर, थाना-मुफ्फसिल, पोस्ट-जगन्नाथ धाम, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-बानाहप्पा, थाना संख्या-212, खाता संख्या-106, प्लॉट संख्या-123, रकबा 0.40 एकड़ (40 डिसमिल) (चालिस डिसमिल) भूमि आनन्द कुमार पिता नागेश्वर राम, निवास स्थान ग्राम-कोरा देवांगना चौक, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">  अपर समाहर्ता, हजारीबाग। </p> <p style="text-align: center;">  अपर समाहर्ता, हजारीबाग। </p>	<p style="text-align: right;">2/1/20</p> <p style="text-align: right;">मेसक,</p>